

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-53/2019/14-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा छत्तीसगढ़ उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में-

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (3) में, अंक "82" के स्थान पर, अंक "117" प्रतिस्थापित किया जाये.
2. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (3) में, अंक "436" के स्थान पर, अंक "623" प्रतिस्थापित किया जाये.
3. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	623	90%	10%	10% पदों को उन मालियों द्वारा भरा जायेगा जिन्होंने 15 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जिनकी न्यूनतम योग्यता स्नातक हो तथा जिन्होंने एक माह का विभागीय प्रशिक्षण किया हो."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 26th March 2021

NOTIFICATION

F. No. 5-53-2019-14-1. — In Exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Horticulture Non Gazetted (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2012, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. In column (3) of serial number 1 of Schedule-I, for the figure "82", the figure "117" shall be substituted.
2. In column (3) of serial number 3 of Schedule-I, for the figure "436", the figure "623" shall be substituted.
3. For serial number 3 of Schedule-II and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3.	Rural Horticulture Extension Officer	623	90%	10%	10% posts shall be filled by those Gardeners who have completed 15 years of service and have minimum qualification as Graduate and departmental training of one month".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER KERKETTA, Deputy Secretary.